न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना।
बि॰ रेन्ट पुनः वाद सं॰ 43/2013-14
मो॰ कृष्णा देवी बनाम मो॰ कलावती देवी

गई कार्रवाई
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

1 | 2 | 3

20-9-18

आवेदक अनु॰।

आवेदक दिनांक 10-10-17 से लगातार अनुपस्थित हैं। सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि यथा 10-10-17, 29-11-17, 17-1-18, 10-3-18, 24-8-18, 19-6-18 एवं 4-8-18 को आवेदक उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 19-6-18 को आवेदक को अंतिम मौका दिया जा चुका है आवेदक आज भी अनुपस्थित है।

आवेदक से विपक्षी के सही नाम पता की मांग की गयी जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विपक्षी को निबंधित नोटिस भेजने का आदेश दिया गया, परंतु आवेदक के द्वारा निबंधित नोटिस भेजने हेतु लिफाफा भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है अतः वाद खारिज किया जाता है।

20/9/18